[Shri S.R. Balasubramoniyan]

12.00 NOON

declared it a pandemic. Many educational institutions have been closed. At least 155 countries are Coronavirus infected countries. Sir, sports events, like IPL, money spinning IPL, they have either been postponed or cancelled. The same way, other activities are also affected. More than 200 people should not gather at a place; that is the advisory issued by the Government. However, as far as our Parliament is concerned, in Rajya Sabha, when we meet in the morning, we are not less than 200 people, including the staff. In Lok Sabha also, at least 400 people will be meeting there, every day in the morning. In Central Hall, anytime, you will find around 300 or 400 people. I would like to know from the Government whether the Government is willing to adjourn the Session. They are very much interested in passing the Budget. They can pass it by bringing an Appropriation Bill and then, the Parliament can be adjourned. If not today, it can be done tomorrow or the day after tomorrow. Thank you.

श्री सभापति: अभी जो सूचना आई है, जो good practices हैं, सब लोग उन्हें फॉलो करें और जो अनुभव है, उससे सीखें। उन्होंने अभी एक उदाहरण दिया है, जो अफवाह चल रही है कि चिकन खाने से कोरोनावायरस फैलेगा, ऐसी जो अफवाह है, ऐसे जो rumours फैल रहे हैं, मेरे ख्याल से यदि सरकार उचित समय पर उन rumours के बारे में कुछ बताएगी कि उनमें कुछ ग्रामर है या नहीं है, यदि इसके बारे में सरकार के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा थोड़ा स्पष्टीकरण दिया जाएगा, तो वह जनता के लिए फायदेमंद होगा।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, what about equi-distance?

MR. CHAIRMAN: Do you want to keep distance from your leader?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Between you and me, there is a distance of more than three meters.

MR. CHAIRMAN: That is why this honourable distance has been kept knowingly. Thank you. Now, it is Question Hour.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN) *in the Chair.]*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Lack of drinking water in Rewari, Haryana

*226. KUMARI SELJA: Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

(a) whether the National Green Tribunal has asked Government to provide drinking water in a village in Rewari district;

(b) if so, the details thereof and the progress of the work;

(c) whether Government has taken into cognizance the over extraction of groundwater by industries in this region; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, the Hon'ble National Green Tribunal has directed to provide drinking water supply to village in Rewari district in OA No.81/2018 in the matter of Ragunath Singh *Versus* Union of India and Ors through an order dated 13.05.2019.

As per the order passed by Hon'ble NGT, the tube well of Kansai Nerolac Paint Limited, Bawal has been sealed by Central Ground Water Authority on 03.06.2019. As reported by Public Health Engineering Department, Haryana drinking water supply in Chirhara village of Rewari district has been provided through a tube well installed near the Jalalpur distributor with service level of 55 litres per capita per day and water quality parameters are within permissible limit of BIS IS 10500:2012.

(c) and (d) Central Ground Water Board and State Ground Water Department jointly carried out estimation of Dynamic Ground Water Resources of India. As per assessment, Total Annual Ground Water Recharge of the Rewari district, Haryana has been assessed as 42,700 Hectare Meter (Ham) and Annual Extractable Ground Water Resource is 38,430 Ham. The Total Current Annual Ground Water extraction is 35,079 Ham (29,559 Ham for irrigation use, 5,156 Ham for domestic use and 364 Ham for industrial use). Thus, ground water extraction for industrial purpose in Rewari is only 1% as compared to 84% for irrigation purpose and 15% for domestic use. The Stage of Ground Water Extraction is 91.28 %. Out of Total 6 assessed blocks of the district, 3 have been categorized as Over-exploited (Khol, Nahar and Rewari blocks), 2 as Semi Critical (Dahina and Jatusana blocks) and one as Safe (Bawal block), the block in which the said industry is located.

Central Ground Water Authority is issuing the NOC to industries for regulated ground water management. As per the data available with CGWA, in Rewari district, a Total number of 134 industries have applied for NOC out of which 24 number of NOC have been issued to eligible industries and NOC applications for 43 number of industries have been rejected and applications of 67 number of industries are under processing or have been referred back to the proponents with queries.

KUMARI SELJA: Madam, recently, the Government of India and the World Bank have signed an agreement for 450 million dollars to fight the issue of groundwater depletion. I would like to know from the hon. Minister which areas in Haryana will be covered under this project, and is Rewari also included in this project?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : उपसभाध्यक्ष महोदया, देश में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। क्योंकि हमारी 85 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति underground water sources से होती है और देश के लगभग 6,800 blocks, जिन्हें हम monitor करते हैं, उन blocks में से लगभग 20 प्रतिशत blocks dried down हो गए हैं, over exploited हैं या critically exploited हैं। यह निश्चित रूप से देश के लिए एक चिंता का विषय है और ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि हम भू गर्भ के जल स्तर को बनाए रखने के लिए, भू गर्भ के उस जल को maintain करने के लिए सुदीर्घ अवधि के लिए एक सुनिश्चित प्रयास करें। जैसा कि माननीय सदस्या ने अभी एक प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक, दोनों की संयुक्त फंडिंग से 6,000 करोड़ रुपये की लागत से अभी 25 दिसंबर को एक योजना "अटल भूजल योजना" के नाम से जारी की गई है। इस योजना में सात प्रदेशों को, जिनमें हरियाणा भी एक प्रदेश है, सम्मिलित किया गया है। इसमें उन सात प्रदेशों के अलग-अलग blocks में जो 78 जिले हैं, उनको शामिल किया गया है। जिलों की विस्तृत सूची के लिए बताना चाहूंगा कि क्योंकि हर जिले में blocks का स्तर अलग-अलग है और माननीय सदस्या ने रेवाड़ी जिले की जो सूचना चाही है कि उसमें कौन-कौन से blocks हैं, उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि मैं बाद में उसकी सूचना माननीय सदस्या तक पहुंचा दूंगा।

KUMARI SELJA: Madam, kindly refer to the answer given to part (c) and (d) of my question. आप खुद मानते हैं कि 99 प्रतिशत groundwater सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए exploit किया जाता है और केवल 1 प्रतिशत भूजल है, जो industrial use के लिए, according to your own study ground water exploit किया जाता है। क्या भारत सरकार कृपा करके हमें यह बताएगी कि दक्षिण हरियाणा में, वैसे तो पूरे हरियाणा में ही लेकिन दक्षिण हरियाणा में पानी का जो एक crisis पैदा हो रहा है, उसके लिए क्या उपाय करेगी? महोदया, मैं बताना चाहूंगी एक leading newspaper ने आज ही उस पर पूरे पेज की एक रिपोर्ट दी है। महोदया,

irrigation के लिए, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए आप groundwater को तो over exploit कर नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इन सब कामों के लिए river water की जरूरत है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार हमें यह बताएगी कि हरियाणा के लिए, विशेषकर दक्षिण हरियाणा के लिए पानी की पूर्ति SYL कैनाल से होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आपको आदेश दे चुका है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): कुमारी शैलजा जी, आप कृपया संक्षेप में सवाल पूछिए।

कुमारी शैलजा: महोदया, मैं उसी पर अपना सवाल पूछ रही हूं। दक्षिण हरियाणा के पानी के deplition के लिए ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आप कृपया अपना सवाल संक्षेप में पूछें।

कुमारी शैलजा: जी। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आप कितनी जल्दी SYL कैनाल का कार्य पूरा करके दक्षिण हरियाणा, जो कि सूखे से एकदम त्रस्त है, उसके लिए पानी की पूर्ति करेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या की चिंता बिल्कुल जायज़ है कि दक्षिणी हरियाणा और देश भर के ऐसे अनेक क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है या जहाँ जमीन के अन्दर, भूगर्भ के जल पर निर्भरता है और जहाँ जल के संसाधन सूख रहे हैं, वहाँ समस्या खड़ी हो रही है। यदि मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो जैसा माननीय सदस्या ने चिंता व्यक्त की है कि दक्षिणी हरियाणा के जिस क्षेत्र में भूगर्भ का जलस्तर गिरा है, वहाँ भी निश्चित रूप से चिंता है, लेकिन देश के कानून के मुताबिक और National Green Tribunal ने जिस तरह की guidelines दी हैं और जो restrictoins impose किए हैं, उनमें agriculture और drinking water purpose के लिए कहीं भी किसी भी तरह के water withdrawal पर प्रतिबंध नहीं है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, क्योंकि जैसा माननीय सदस्या ने 99 परसेंट पानी के उपयोग के बारे में बताया, लेकिन मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो लगभग 89 परसेंट पानी agriculture के उपयोग में आता है। दुनिया के सारे देशों में कमोबेश इसी तरह की स्थिति होगी कि सबसे ज्यादा पानी का उपयोग agriculture के लिए होता है, लेकिन फिर भी हमें ...**(व्यवधान)**...

कुमारी शैलजा: मेरा प्रश्न SYL के बारे में है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: फिर भी हमें procedure, ...**(व्यवधान)**... आपने जितनी भूमिका बनाई, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): मंत्री जी, हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो भी सवाल के जवाब हों, वे आप संक्षेप में दें और माननीय सदस्य भी सवाल संक्षेप में करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों का सवाल लिया जा सके।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, उन्होंने जो लंबा प्रश्न पूछा था, मैं तो उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... SYL का विषय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हमने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी पिछली पेशी में अपनी तरफ से जवाब लिखा है कि हरियाणा और पंजाब के बीच, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने हमें यह आदेश दिया था कि दोनों को बिठा कर एक मध्यम मार्ग निकाला जाए, दोनों मध्यम मार्ग निकालने के लिए सहमत नहीं हैं। हमने अपनी तरफ से अपना प्रत्युत्तर वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Madam, it is because of specific instances of industrial pollution which contaminated the ground water, due to which the National Green Tribunal had to order in the manner in which it did. I would like to know from the hon. Minister as to how many industries have so far been booked for contaminating the ground water as per NGT.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो पूरी सूची चाही है, मैं पूरी detailed सूची माननीय सदस्य के पास भेज दूँगा कि कौन-कौन सी industries को किस-किस तिथि से National Green Tribunal के माध्यम से उसके आदेश के तहत उन सबको contamination of ground water के आधार पर book किया गया है। चूँकि यह एक बहुत vast सूची है, मैं माननीय सदस्य को आन्ध्र प्रदेश और उसके अतिरिक्त पूरे देश भर की सूची भी उपलब्ध करा दूँगा।

डा. अशोक बाजपेयी: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं, जिन्हें गृह डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिह्नित किया गया है और कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं, जहाँ भूगर्भ जल की स्थिति चिंतनीय है? इसके लिए जो 'अटल भूजल योजना' है, उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है और हम कैसे इस भूगर्भ जलस्तर को दोबारा संरक्षित कर सकेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले से प्रारम्भ होकर अगर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक की सूचना माँगी जाएगी, तो मैं इसमें असमर्थ होऊँगा कि मैं एक-एक ब्लॉक की सूचना एक साथ दे सकूँ, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही है, वह सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को छोड़ कर बाकी सारे हिस्से में भूगर्भ के जल की स्थिति उतनी ज्यादा चिंताजनक नहीं है, जितनी देश के अन्य प्रदेशों में है, क्योंकि नदियाँ बहने के कारण वहाँ comparatively underground water का इतना stress नहीं है। वहाँ दूसरी तरह का issue है और वह issue quality को लेकर है, क्योंकि उस एरिया में आर्सेनिक एक बहुत बड़ी चुनौती है। माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है और उनका संकल्प है कि हम 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुँचाएँगे। हम 'स्वच्छ जल जीवन मिशन' के माध्यम से 55 लीटर per capita जल पहुँचाएँगे। हमने उस दिशा में काम करना प्रारम्भ किया है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है।

श्रीमती जया बच्चन: मैडम, मैं आपके through मंत्री जी से ground water contamination के बारे में यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इतने शौचालय बनाए हैं, उनका drainage system इतना खराब है, जिससे ground water contaminate हो रहा है, जिससे वह पानी जहाँ फसलों में जाता है, वे सब फसलें खराब हो रही हैं और इससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। क्या आप इसके लिए कुछ जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि World Health Organisation या दुनिया की कोई भी स्वतंत्र एजेंसी, चाहे Bill and Melinda Gates Foundation हो या अन्य कोई एजेंसी हो, सबका यही मानना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का जो स्वच्छता मिशन प्रारम्भ किया गया है, उससे पूरे विश्व में भारत का सम्मान स्थापित हुआ है। स्वच्छता मिशन के तहत जितने भी toilets बने हैं, सभी प्रदशों से आग्रह किया गया था कि उन्हें twin pit technology के आधार पर बनाया जाए, लेकिन कुछ प्रदेशों ने single pit technology पर भी toilets बनाए हैं। अब जो toilets single pit technology पर बन गए हैं, हम उन्हें फिर से retrofit करके twin pit पर transfer करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए राज्यों से आग्रह कर रहे हैं। कहीं भी, किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं आया है कि इनके कारण किसी भी तरह का ground water contamination हुआ है । सारी रिपोर्ट्स ने, चाहे World Health Organisation की रिपोर्ट हो, Bill and Melinda Gates Foundation की रिपोर्ट हो या अन्य स्वतंत्र एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हो, सबने यही कहा गया कि जितने भी twin pit toilets बने हैं, उनके कारण underground water quality में जो contamination पहले था, उसमें कमी आई है।

माननीय सदस्या ने जो चिता व्यक्त की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिन बड़े शहरों, कस्बों या गांवों में sewage network के कारण पानी खुले में फैलता रहता है, वहां निश्चित रूप से contamination की संभावना बनती है।

[श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत]

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को सहर्ष और सगर्व सूचित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो 'जल-जीवन मिशन' का संकल्प लिया है, उसके साथ-साथ घरों से जो greywater निकलता है, उसकी treatment facility को essential components के रूप में गांवों में बनाया जा सके, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। Fifteenth Finance Commission ने भी अपनी पांच साल की योजना में इसके लिए प्रावधान किया है। इस साल के बजट में भी 30,000 करोड़ रुपया sewage और स्वच्छता को लेकर सुनिश्चित किया गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): प्रश्न संख्या 227.

Challans for traffic rules violation

*227. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that common people are being stopped without committing any traffic violations and being challaned on one pretext or the other and also the poor people can't afford to pay such hefty challans, which is leading to corrupt practices; and

(b) if so, whether any steps have been taken to stop such incidents?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Some incidents have come to notice where the citizens faced inconvenience and harassment when being asked to produce certificates of registration, insurance, fitness and permit, the driving licence and any other relevant documents on demand by any police officer in uniform or any other authorised by the State Government. The Parliament has recently passed the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019. For ensuring greater compliance and checking irregularities/corruption and for providing facilitation and convenience to citizens the new provisions have been added such as "electronic monitoring and enforcement of road safety" which provides for usage of speed cameras, closed-circuit television cameras, speed guns, body wearable cameras and such other technology for enforcement.

The Section 200 of the Motor vehicles Act, 1988 after the Motor Vehicles